



माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुर्वारका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)



Website- msuniversity.ac.in

E-mail ID - nss@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 377/15/एन.एस.एस./एम.एस.यू./2025-26

दिनांक 01/01/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या, 2- कुलसचिव, ग्लोकल विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, सहारनपुर।
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान,
राष्ट्रीय सेवा योजना,
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय सहारनपुर।

विषय:-सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय सेवा योजना सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि सात दिवसीय विशेष शिविर गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जनपदवार तिथियों में आयोजित किये जाने हैं, सभी महाविद्यालय नीचे दी गयी तिथियों में आवश्यक रूप से शिविर आयोजित करा ले अन्यथा की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। उ०प्र० शासन एवं भारत सरकार द्वारा निर्धारित विषय वस्तु 'कौशल विकास हेतु युवा' को ध्यान में रखते हुए शिविर आयोजित होंगे। यह शिविर महाविद्यालय से 08 कि०मी० की परिधि में लगाये जायेंगे यदि एक महाविद्यालय में एक से अधिक इकाईया है, तो अलग-अलग गांवों अथवा बस्तियों में शिविरों को आयोजित कराया जायें। भोजन/जलपान तैयार करने की व्यवस्था में छात्र/छात्राओं को लगाया जायें। अतः कृपया अभिगृहीत ग्राम/मलिन बस्ती का पूर्ण विवरण संलग्न अनुमति प्रोफार्मा में अंकित करते हुए विशेष शिविर आयोजित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ को अपिलम्ब प्रेषित करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय अथवा उ०प्र० शासन की बिना लिखित अनुमति के आयोजित कोई भी शिविर मान्य नहीं होगा। तिथियों में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अथवा शासन द्वारा ही किया जा सकता है।

जनपद का नाम	विशेष शिविरों हेतु तिथियाँ
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं शामली	31.01.2026 से 06.02.2026 11.02.2026 से 18.02.2026 16.02.2026 से 22.02.2026 24.02.2026 से 02.03.2026 06.03.2026 से 12.03.2026

संलग्नक विशेष शिविर आयोजन हेतु प्रारूप।

मन्दीय

(डा० राम कुमार)
कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड) लखनऊ।
2. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. कुलपति कार्यालय को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वित्त अधिकारी कार्यालय को वित्त अधिकारी जी के सूचनार्थ।
5. कुलसचिव कार्यालय को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
6. जिलाधिकारी कार्यालय को जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर, शामली व मुजफ्फरनगर के सूचनार्थ।
7. सहायक कुलसचिव, राष्ट्रीय सेवा योजना।
8. गार्ड फाईल।

कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजन हेतु अनुमति प्रोफार्मा

महाविद्यालय का नाम	
कार्यक्रम अधिकारी का नाम	
चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम	
शिविर स्थल की संस्था से दूरी	
चयनित ग्राम/मलिन बस्ती का नाम	
शिविर आयोजन की तिथि	
शिविर की प्रकृति (दिन-रात)	
शिविर स्थल तक पहुँचने का साधन	
दिशा व ग्राम प्रधान/सभासद का नाम/मो०नम्बर	
दिन-रात में शिविरार्थियों के ठहरने का स्थान/भवन/कमरा नम्बर	

नोट:- उपरोक्त प्रारूप में दिये गये सभी कॉलमों से सम्बन्धित सूचना को आवश्यक रूप से भरें।

प्रति हस्ताक्षरित मुहर सहित
प्राचार्य/प्राचार्या
मोबाईल नम्बर
ई०मेल आई०डी०

हस्ताक्षर मुहर सहित
कार्यक्रम अधिकारी (रा०से०यो०)
मोबाईल नम्बर
ई०मेल आई०डी०

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) विशेष सात दिवसीय शिविर- 2025-26 (रात्रि दिवस) सूचना प्रपत्र प्रारूप:-

1. विश्वविद्यालय / मंडल का नाम:

.....

2. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय का नाम एवं पता:

.....

3. शहरी / ग्रामीण क्षेत्र जनपद सहित

.....

4. अधिग्रहित ग्राम / मलिन बस्ती का नाम एवं जनपद:

.....

5. सात दिवसीय विशेष शिविर आयोजित करने की तिथि:

(दिनांक से तक)

6. रात्रि दिवस शिविर हेतु 50 स्वयंसेवकों की सूची तथा माता-पिता की अंडरटेकिंग:

कार्यक्रम अधिकारी का प्रमाणित पत्र संलग्न करें।

7. 50 शिविरार्थी स्वयंसेवकों के रुकने के स्थल का पता:

.....

8. शिविर स्थल की विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय से दूरी व पहुँचने का साधन:

.....

9. चयनित अधिग्रहित ग्राम / मलिन बस्ती में शिविर के पूर्व सर्वे व आयोजित कार्यक्रम का विवरण दिनांक सहित:

.....

10. ग्राम प्रधान / पार्षद का नाम, मोबाइल नंबर, पता:

.....

11. ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित गांव के ग्राम प्रधान/ शहरी क्षेत्रों चयनित क्षेत्रों के पार्षद से प्राप्त अनुमति पत्र की प्रति संलग्न करें:

(शिविर स्थल चयन एवं 50 शिविरार्थियों के रुकने के स्थल हेतु)

.....

12. कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अधिग्रहित ग्राम / मलिन वस्ती चपन कर आधिकारिक सूचना भेजने का पत्र (जनपद जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर संबंधित ग्राम):

कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र की प्रति संलग्न करें।

13. वर्ष 2025-26 में अप्रैल माह से नवम्बर माह तक आयोजित सभी सामान्य कार्यक्रम:

(विषय एवं दिनांक सहित)

14. कार्यक्रम अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल:

15. प्राचार्य / कार्यक्रम समन्वयक/ उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक मंडल का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल:

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

कार्यक्रम अधिकारी (दिनांक व मोहर सहित)

प्राचार्य (दिनांक व मोहर सहित)

अनुमति सहित अग्रसारित:.....

कार्यक्रम समन्वयक विश्वविद्यालय / उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक मंडल (हस्ताक्षर, दिनांक व मोहर सहित)

निर्देश:-

विशेष शिविर आयोजन की सूचना 15 दिन पूर्व निम्न अधिकारियों को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजना अनिवार्य है-

- सूचना न मिलने की दशा में शिविर हेतु अनुदान शासन द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी, प्राचार्य, कार्यक्रम समन्वयक एवं उप शिक्षा निदेशक की होगी।
 - किसी अपरिहार्य कारण से सात दिवसीय रात्रि दिवस विशेष शिविर(day /night camp) आयोजन यदि दिवस शिविर (day camp) के रूप में आयोजित करने की उक्त प्रारूप के साथ अनुमति पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी, प्राचार्य, कार्यक्रम समन्वयक एवं उप शिक्षा निदेशक की होगी।
1. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या 47, बहुखंडी भवन, तृतीय मंजिल, सचिवालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 260001
 2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा कार्य विभाग, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, कक्ष संख्या 01, आठवां तल, केंद्रीय भवन अलीगंज, लखनऊ 260026।
 3. जिलाधिकारी, संबंधित जनपद/मुख्य विकास अधिकारी।
 4. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय एवं कुलसचिव।
 5. कार्यक्रम समन्वयक विश्वविद्यालय / उप शिक्षा निदेशक, माध्यमिक मंडल।
 6. शिविर स्थल के निकट थाना प्रभारी।